



2026:AHC-LKO:7087

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 44/2026

प्रमोद कुमार पाण्डेय

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – संजय कुमार पाल

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार पाल और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा को सुना एवं अभिलेखों का परिशीलन किया।
- जनहित में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 से 5 को यह निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है कि वे ग्राम वलीपुर, पोस्ट झिंगुर, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ में स्थित, बंजर के रूप में दर्ज भूमि अराज्गी संख्या 2708, क्षेत्रफल 0.164 हेक्टेयर, अराज्गी संख्या 2709 क्षेत्रफल 0.086 हेक्टेयर, अराज्गी संख्या 2711 क्षेत्रफल 0.0226 हेक्टेयर और अराज्गी संख्या 2712 क्षेत्रफल 0.046 हेक्टेयर पर किए गए अतिक्रमणों को हटाएँ।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निजी व्यक्ति ग्राम सभा की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं।
- राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्राप्त लिखित निर्देशों के आधार पर यह कथन प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत वाद संख्या टी202602570101318: शिवलाली बनाम राज्य का एक मुकदमा उप-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिलाधिकारी, कुंडा प्रतापगढ़ के समक्ष विचाराधीन है। लिखित निर्देशों की एक प्रति अभिलेख में दर्ज कर ली गई है।

5. तदनुसार, याचिका का निस्तारण इस टिप्पणी सहित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत वाद संख्या टी 202602570101318: शिवलाली बनाम राज्य, जो उप-जिलाधिकारी, कुंडा प्रतापगढ़ के समक्ष लंबित है, का निस्तारण विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक किया जाएगा।

30 जनवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)